

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

मागीरज वसंत सुलला (मि वी)

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तालीम
में जारी हुए

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु.नं. 9/2022

03.08.2022

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। अप्रार्थीगण संख्या 1/1 से 1/4 की ओर से श्री श्रवण कुमार यादव एड0 उपस्थित आये। अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 5 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाये सात माह से भी अधिक का समय हो चूका है। बावजूद रजिस्टर्ड डाक के भी हाजिर अदालत उपस्थित नहीं आये है। अतः अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 5 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। शेष अप्रार्थीगण के नोटिस की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 30.07.2022 को ही भिजवाई गई है। जिनको एक माह का समय नहीं हुआ है। जिसके कारण तामील आदेश किया जाना सम्भव नहीं है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित मूल वादपत्र में वकुलाय उभय पक्षकारान् ने आपसी सहमति से वादपत्र के बंटवारा से सम्बन्धित होने से विधिक विभाजन हेतु अपनी-अपनी सहमति व्यक्त कर दिये जाने से वादपत्र में आज प्रारम्भिक डिक्री जारी की जा चुकी है। अतः ऐसी स्थिति में इस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(Signature)
03/08/22

(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

